भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **109**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश में पीएम-पीआरएएनएएम योजना

109. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पीएम-प्रणाम योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी निधियां संवितरित की गई हैं;
(ग) क्या सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहन दे रही है जिन्होंने देश में रासायनिक उर्वरकों का कम मात्रा में उपयोग किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (घ): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" की मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती आदि को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सहयोग देना है।

पीएम-प्रणाम के तहत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। उक्त स्कीम के तहत किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

इस स्कीम को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया है और राज्यों द्वारा यदि कोई बचत की गई हो, तो उसकी गणना की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद उसे राज्यों को दिया जाएगा।

*****